संख्या-178/2018/2663/26-3-2018

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊःदिनांकः 21 अगस्त 2018

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, सोनहा खीरी में स्पोर्ट आईटम एवं जिम एक्यूपमेन्ट हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-70/43/ज0जा0वि0/2018-19 दिनांक-31.05.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, सोनहा खीरी में स्पोर्ट आईटम एवं जिम एक्यूपमेन्ट हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष कार्यो को पूर्ण करने हेतु देय अवशेष धनराशि रू0-7.59 लाख (रू0 सात लाख उनसठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अनुसार अवमुक्त कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)- धनराशि का व्यय क्रय सम्बन्धी नियमों सम्बन्धित शर्तो/वित्तीय नियमों/प्रतिबंधों एवं इस संबंध में निर्गत किये गये शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजाति उपयोजना के लिए निर्धारित मानकों/दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। किसी प्रकार विचलन की स्थिति में वह स्वयं उत्तरदायी होगें।

(2)-उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि विगत वर्षो में शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि पी.एल.ए./डाकघर/डिपाजिट खातों आदि में नहीं जमा है और पूर्व में अवमुक्त सम्पूर्ण धनराशि व्यय कर उपयोग/उपभोग कर लिया गया है और आवंटित धनराशि के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त कोई धनराशि व्यय हेतु अवशेष नहीं पड़ी है।

(3)-अवमुक्त की जा रही धनराशि का शत-प्रतिशत उपभोग करने के उपरान्त उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार उ0प्र0 एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4)-धनराशि का व्यय उसी मद/कार्य लिये किया जायेगा जिस मद/कार्य के लिये वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है।

2- उपर्युक्त योजना मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जनजाति क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0104-संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण हेतु माडल विद्यालय-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय संख्या-1/2018/बी-1-375/ दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च 2018 द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव ।

पृ0संख्या-178/2018/2663(1)/26-3-2018 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3-अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली।
4-निदेशक, जनजाति विकास द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी।
5-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/ वित्त(आय व्ययक) अनुभाग-1/2
6-राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2
7-समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
8-निदेशक एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
9-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।